अनुदान संख्या 61 – विधि और न्याय
GRANT No. 61–LAW AND JUSTICE

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	816,97,00		817,01,00	507,22,70	–309,78,30
पूरक	Supplementary	4,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					291,23,09
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			3,00	. .	–3,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					3,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services				
मू.	O.	3218.00	3116.56	2943.93	–172.63
पु.	R.	–101.44			
मुख्य शीर्ष "2014" न्याय प्रशासन	Major Head "2014" Administration of Justice				
मू.	O.	27835.00	8918.34	8786.44	–131.90
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	–18918.66			
मुख्य शीर्ष "2015" निर्वाचन	Major Head "2015" Elections				
मू.	O.	39441.00	25708.00	25508.82	–199.18
पु.	R.	–13733.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2020'' आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	Major Head "2020" Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	3168.00	2582.01	2567.75	–14.26
पु.	R.	–585.99			
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	2450.00	495.53	. .	–495.53
पु.	R.	–1954.47			
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	4950.00	11255.47	10424.23	–831.24
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	6303.47			

(I) 19706.50 लाख रु. का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 19452.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः-

(I) Provision of Rs.19706.50 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads; of these Rs.19452.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2014'' -

(A) Major Head "2014" –

(क) ''न्यायिक आयुक्त (बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रा) - न्यायपालिका से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान'' - 101.00 लाख रु. (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) संघ राज्य क्षेत्रा चंडीगढ़ द्वारा निधि का उपयोग न किए जाने के कारण थे।

(a) "Judicial Commissioner (UTs without Legislature) – Grants for infrastructural facilities for Judiciary" – Rs.101.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2008) - due to non-utilisation of funds by Union Territory of Chandigarh.

(ख) ''अन्य व्यय'' -

(b) "Other Expenditure" –

(i) ''राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी'' - 101.00 लाख रु. (नवंबर, 2007 में प्राप्त किए गए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(ii) ''जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण'' - 16050.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iii) ''न्याय प्रशासन - भारत परियोजना'' - 750.00 लाख रु. एशियाई विकास बैंक के साथ कर्ज संबंधी बातचीत को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''न्याय प्रशासन'' -

(क) ''न्यायपालिका से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान'' - 1450.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(ख) ''जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण'' - 1000.00 लाख रु. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से दावे प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय - विधि कार्य विभाग'' के अंतर्गत 111.07 लाख रु. की बचत (1731.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीधी भर्ती के इष्टतम उपयोग संबंधी स्कीम के अंतर्गत पदों को समाप्त किए जाने की वजह से रिक्त पदों के भरे न जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2014'' - ''सिविल और सत्रा न्यायालय - फास्ट ट्रैक कोर्ट'' के अंतर्गत 1780.11 लाख रु. की बचत (7500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अव्ययित शेष के उपलब्ध होने, राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्राों के प्राप्त न होने और कुछ राज्यों में कम संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट के क्रियाशील होने के

(i) "National Judicial Academy" – Rs.101.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in November, 2007); and

(ii) "Computerization of District and Subordinate Courts" - Rs.16050.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to availability of unspent balances of previous year.

(iii) "Administration of Justice – India Project" – Rs.750.00 lakhs – due to non-finalisation of loan negotiations with the Asian Development Bank.

(B) Major Head "2552" – "Administration of Justice" –

(a) "Grants for infrastructural facilities for Judiciary" – Rs.1450.00 lakhs – due to re-appropriation of part funds to the functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(b) "Computerisation of District and Sub-ordinate Courts" – Rs.1000.00 lakhs – due to non-receipt of claims from National Informatics Centre.

(II) Under Major Head "2052" – "Secretariat – Department of Legal Affairs" – saving of Rs.111.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1731.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts owing to abolition of posts under the scheme of optimisation of direct recruitment.

(III) Under Major Head "2014" - "Civil and Sessions Courts – Fast Track Courts" – saving of Rs.1780.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7500.00 lakhs) was due to availability of unspent balances, non-receipt of utilisation certificates from State Governments and less number of Fast Track Courts operational in some States.

कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2015'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''मतदाताओं को फोटो पहचान पत्रा जारी करना - राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति'' - 344.00 लाख रु. की बचत (2224.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य व्यय - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर व्यय'' - 13562.58 लाख रु. की बचत (17500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्वाचन आयोग द्वारा पुरानी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के अनुपयोगी घोषित किए जाने और उनका प्रतिस्थापन किए जाने संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''2020'' - ''निदेशन और प्रशासन - आयकर अपीलीय अधिकरण'' के अंतर्गत 576.25 लाख रु. की बचत (3144.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ नए सृजित खंडपीठों के कार्यरूप न लेने की वजह से रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत 198.20 लाख रु. की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत से 83 प्रतिशत तक थीं।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (6303.47 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत नवंबर, 2007 और मार्च, 2008 में प्रत्येक में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''योजनेतर अनुदान - न्याय प्रशासन - विशेष न्यायालय - परिवार न्यायालय'' - 100.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 93.09 लाख रु. था।

(खा) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - न्याय प्रशासन - अन्य अनुदान - न्यायापालिका से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान'' - 6203.47 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5379.14

(IV) Under Major Head "2015" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Issue of Photo Identity Cards to Voters – Reimbursement to State Governments" – saving of Rs.344.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2224.00 lakhs) was due to receipt of less claims from State Governments.

(B) "Other Expenditure – Expenditure on Electronic Voting Machines" - saving of Rs.13562.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17500.00 lakhs) was due to non-finalisation of the proposal for condemnation and replacement of old electronic voting machines by Election Commission.

(V) Under Major Head "2020" – "Direction and Administration – Income Tax Appellate Tribunal" – saving of Rs.576.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3144.00 lakhs) was due to the non-filling up of vacant posts owing to non-functioning of some newly created benches.

(VI) Under three heads savings of Rs.198.20 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 18 percent to 83 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (Rs.6303.47 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh each in November, 2007 and March, 2008 under Major Head "3601" – under the following heads:-

(A) "Non-Plan Grants – Administration of Justice – Special Courts – Family Courts" – Rs.100.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.93.09 lakhs.

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Administration of Justice – Other Grants – Grants for infrastructure facilities for Judiciary" – Rs.6203.47 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5379.14 lakhs.

लाख रु. था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, 3.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''4070'' - ''अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय'' के अंतर्गत तीन मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

3. In the capital section of the grant, provision of Rs.3.00 lakhs remained wholly unutilised in three cases under Major Head "4070" – "Capital Outlay on Other Administrative Services" and was eventually surrendered.